तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/01/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते बहस आयन्दा दि. 22/01/2020 को पेश हो। S.D.O.
22/01/20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आयन्दा 27/01/2020 को पेश हो।
27/01/20	पत्रावली पेश हुई। कार्य व्यस्तता के कारण आज आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश आयन्दा दिनांक 30/01/2020 को पेश हो।
30/01/20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उ.ख.अ. उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत श्री भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र– 53/2017 निर्णय दिनांक : 30.01.2020

1.लिछमणराम
2.देवीलाल
} पि. रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी जैतपुर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर प्रार्थीगण

बनाम

1.रामेंश्वर पुत्र बींझाराम जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी जैतपुर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1.श्री भानुप्रताप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री रामकरण मूण्ड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक
3. पेरोकार राज

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

पत्रावली प्रस्तुत उभय पक्ष के अधिवक्ता एवं राजपेरोकार उपस्थित । इस प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा बींझाराम के नाम से ग्राम रोही जैतपुर 'ए'तहसील लूनकरनसर में भूमि थी, वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नं. 416 में 11.16 बीघा 449 में 14.19 बीघा, 454 में 11.10 बीघा, 543 में 15.12 बीघा, 568/2063 में 4.08 बीघा, 568/4 में 30 बीघा इस प्रकार कुल 88.05 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 रामेस्वर के हिस्से में आई जो अप्रार्थी रामेस्वर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है उक्त प्रार्थीगण के दादा की पुश्तेनी भूमि होने के कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का लम्बे अरसे से कब्जाकाश्त चला आ रहा मौका पर अपने हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है। रिकॉर्डेड खातेदार बींझाराम पुत्र बीरू प्रार्थीगण के दादा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण के परिवार की कृषि भूमि रामेस्वर व धन्नाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई । उक्त विवादित कृषि भूमि पर स्वर्गीय बींझाराम पुत्र बीरू की होने के कारण प्रार्थीगण का जन्म से ही अपना हक व हिस्सा निहित है तथा कानूनन अपने हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त कृषक है परन्तु प्रार्थीगण के हक व हिस्से को अप्रार्थी संख्या एक ने अकेले के नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया जो कि कानूनन गलत होने के कारण प्रार्थीगण अपने हकों की घोषणा करावाकर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करावाकर अपना नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करावाने के अधिकारी है एवं अपने हिस्से का बंटवारा करवाने के अधिकारी हैं।

अप्रार्थी संख्या एक रिकॉर्ड में अपने अकेले नाम का रिकॉर्ड में दर्ज का फायदा उठाने की नियत से रोही मौजा जैतपुर 'ए'खसरा नं. 416 में 11.16 बीघा 449 में 14.19 बीघा, 454 में 11.10 बीघा, 543 में 15.12 बीघा, 568/2063 में 4.08 बीघा, 568/4 में 30 बीघा इस प्रकार कुल 88.05 बीघा को विक्रय एवं रहन करवाना चाहता है उक्त भूमि का बेचान कर प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

के हिस्से की भूमि का बेचान करने की नियत से विवादित भूमि पर 4–5 व्यक्तियों को लेकर आया व कहने लगा कि भूमि को खाली कर दो । इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि को खाली कर देने के कथन से प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक हासिल हुवा है । प्रथम दृष्टतया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं एवं क्षति भी प्रार्थीगण को हो रही हैं। प्रार्थना–पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर एवं न्यायालय के श्रवणाधिकार के अन्तर्गत हैं।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 08.05.2017 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबर वादगत भूमि को आईन्दा आदेश तक रहन बेय नहीं करने जारी किया गया तथा अप्रार्थीगण को नाटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया । जिसमें प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थना–पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पर जवाब अप्रार्थीगण पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई । सर्वप्रथम प्रार्थीगण की ओर से विधवान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि विवादित भूमि पुश्तेनी जमीन है जो प्रार्थीगण के दादा सवर्गीय बींझाराम पुत्र बीरूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसका विरासतन इन्तकाल अप्रार्थी संख्या एक ने अकेले के नाम से दर्ज करवा ली । पुश्तेनी जमीन का हक हिस्से का मौखिक बंटवारा किया हुवा है जिसके अनुसार प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी संख्या एक उक्त भूमि को बेचान करना चाहता हैं आपसी राजीनामे की कोशिश हुई जिसमें अप्रार्थी साफ इन्कार हो गया इस प्रकार भूमि अकेले अप्रार्थी के नाम दर्ज होने व इन्कारी से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का हक हासिल हुवा हैं। अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में भूमि को रहन बेय आदि करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति सम्भावित है। भूमि पुश्तेनी होने के कारण प्रथम दृष्टतया प्रार्थीगण के पक्ष का है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का बनता है वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस समाप्त करते हुवे पुनः कथन किया कि वाद के निर्णय तक विवादित भूमि वाके ग्राम जैतपुर 'ए' खसरा नं. 416 में 11.16 बीघा 449 में 14.19 बीघा, 454 में 11.10 बीघा, 543 में 15.12 बीघा, 568/ 2063 में 4.08 बीघा, 568/4 में 30 बीघा इस प्रकार कुल 88.05 बीघा में प्रार्थीगण का 2/9 हिस्सा की स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमायी जावे की अप्रार्थीगण उक्त हिस्से की भूमि को रहन बेय इत्यादि नहीं करे।

वकील प्रार्थीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी संख्या एक के विधवान अधिवक्ता कथन किया कि बींझाराम पुत्र बीरूराम की पुश्तेनी नहीं है। प्रार्थना–पत्र के संलग्न मूल रिकॉर्ड की जमाबन्दी संलग्न नहीं की है केवल 20–30 बीघा की लगाई है जबकि जमीन ज्यादा है न ही उक्त भूमि का मिलान क्षेत्रफल पेश किया है, इन्तकाल का भी मिलान नहीं होता है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुवे कथन किया रामेश्वर के दस वारिस है सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ना ही सही तथ्य पेश किये है अप्रार्थी रामेश्वर को अकेला छोंड़ रखा है कोई सेवा नहीं कर रहा हैं जमीन बैंक के रहन है, रहन मुक्त करने हेतु न ही कोई पैसा जमा करवा रहा है रोडा एक्ट न्यायालय हाज़ा में कार्यवाही जैरकार है । जमीन बेचान कर रहन मुक्त करवाना चाहता है इस प्रकार अपनी बहस समाप्त करते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाज़ा के समक्ष सही तथ्य प्रकट नहीं किये तथा ना ही मूल रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल पेश किया हैं सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः प्रार्थना –पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय कॉस्ट खारिज फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने कथन किया की प्रकरण दोनो पक्षो के मध्य का है जिसमें राज्य पक्ष का हित/अहित प्रभावित नहीं होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में सही तथ्य प्रकट नहीं किये है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति संभावित है प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी प्रमाणित नहीं होता है तथा ना ही प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष का साबित होता है। वकील अप्रार्थी के कथन के विरोद्ध में न ही कोई रिकॉर्ड पेश किया है अतः तथ्यों एवं रिकॉर्ड के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पूर्णतया साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

30.1.2020

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2020.02.04 18:14:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: